हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
पत्रावली वास्ते निर्णय दि 28/6/15 को पेश हो। (हि॰)	
26/6/15 - पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री जयन्तिलाल पिता नाथूराम जी ब्राह्मण द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र पेश किया कि वादी गाँव गडाजसराजपुर का निवासी है। उसके पिता का नाम श्री नाथू-राम पुत्र नरवेराम था। वादी के पिता के खाते में सेटलमेंट संवत 2023 में खसरा नम्बर 2553 रकबा 5 बिस्वा एवं ख. नं. 2554 रकबा 12 बिस्वा कृषि भूमि थी। सैटलमेंट के पश्चात खसरा नम्बर 2553 की सम्पूर्ण 05 बिस्वा भूमि एवं 2554 की 04 बिस्वा भूमि सड़क हेतु अवाप्त कर ली गई। खसरा नं. 2554 की अवाप्तशुदा भूमि का नवीन खसरा नम्बर 2554/1 पड़ा एवं दोनों ही खसरों की भूमि राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सड़क दर्ज कर दी गई। तथा किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया गया। प्रतिवादी के पिता ने अवाप्त भूमि में से सम्पूर्ण खसरा नं 2554/1 की भूमि पर सड़क का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निर्माण कर लिया गया परन्तु खसरा नं. 2553 की 5 बिस्वा भूमि में से सिर्फ एक बिस्वा भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया। शेष भूमि मौके पर खाली पड़ी है तथा उस पर वादी का कब्जा काबिज चला आ रहा है। वादी के अनुसार खसरा नम्बर 2553 के आगे कोई रास्ता नहीं है एवं मौके पर उक्त खसरे की शेष बची भूमि रकबा 4 बिस्वा पर वादी का कब्जा है। उक्त खसरा लम्बाई में है। इसके आस-पास की दूसरे खसरों की भूमि जो इसी खसरे की सीध में है, उन्हें सड़क हेतु अवाप्त नहीं किया गया है। प्रतिवादी के खाते में ख. नं. 2553 की सिर्फ 1 बिस्वा भूमि चढ़नी चाहिए थी एवं शेष भूमि वादी के खाते दर्ज रहनी चाहिए थी। वादी द्वारा दि. 9/12/13 को उक्त खसरे की नकल निकलवाने पर वादी को खसरा नम्बर 2553 की संपूर्ण 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के खाते में बिलानाम सड़क दर्ज कर दी गई है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
वादी ने प्रतिवादी को ख.नं. 2553 की शेष 4 बिस्वा भूमि अपने खाते दर्ज करवाने निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इंकार कर दिया जिससे यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी के कब्जे व स्वामित्व की ख.नं. 2553 की 4 बिस्वा भूमि गलत तरीके से प्रतिवादी के खाते में चली जाने से खरिज इन्द्राज दुरुस्ती त्रुटि सुधारना आवश्यक है अन्यथा वादी को भारी नुकसान पहुंचेगा अतः शेष दर्ज वर्तमान ख.नं. 2553 की शेष चार बिस्वा भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली में दि. 03/04/14 को खरिज नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा 12/05/15 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादी के ख.नं. 2553 रकबा 5 बिस्वा का मौके पर नाप करने पर पाया गया कि 2 बिस्वा भूमि पर सड़क निर्मित में प्रयुक्त है एवं शेष 3 बिस्वा भूमि सड़क सीमा के बाहर होकर पड़त पड़ी है, जो वादी के नाम दर्ज की जा सकती है। पत्रावली में वादी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पत्रावली के वकील वादी की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिपिक निरीक्षणानुसार प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि खसरा सं 2553 रकबा 5 बिस्वा एवं 2554 रकबा 12 बिस्वा वादी के पिता नाथूराम पुत्र नारायणराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें से ख. सं. 2553 रकबा 5 बिस्वा एवं ख. सं. 2554/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि ग. सं. 2554/1 की सम्पूर्ण भूमि व 2553 की 1 बिस्वा भूमि पर ही सड़क निर्माण किया गया परन्तु सम्पूर्ण 09 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में सड़क दर्ज हो गई, जबकि 05 बिस्वा भूमि ही सड़क दर्ज होनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2069-72 मौजा गडाजकारामपुर के खाता नं 01 में खसरा नं. 2553 एवं 2554/1 रकबा क्रमशः 5 बिस्वा व 04 बिस्वा दर्ज रिकार्ड बिलानाम (सड़क) है। नामान्तरण पंजिका ग्राम गडाजकारामपुर की प्रस्तुत प्रतिलिपि के अनुसार नामान्तरण दिनांक 26/10/77 के द्वारा खसरा सं.-22 रकबा 12 बीघा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
	18 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि नामान्तरण द्वारा बिलानाम सड़क सड़क दर्ज हुई। 1 बीघा भूमि के खसरा नं. 2553, 2554, 3166, 3167, 3168 रकबा क्रमशः 5 बिस्वा, 4 बिस्वा, 5 बिस्वा, 4 बिस्वा व 2 बिस्वा दर्ज हुए। रिकार्ड के अवलोकन व तहसीलदार, गलियाकोट की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ख.नं. 2553 रकबा 5 बिस्वा जो पूर्व में ख.नं. 22 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा का भाग था तथा नामान्तरण दि. 26/10/77 द्वारा बिलानाम सड़क दर्ज रिकार्ड हुआ। उक्त खसरे की 05 बिस्वा भूमि में से 4 बिस्वा भूमि सड़क में आने का दावा वादी द्वारा किया गया परन्तु रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 बिस्वा भूमि सड़क सीमा से बाहर है तथा वर्तमान में कृषि भूमि है। अतः प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर खसरा नं. 2553 रकबा 05 बिस्वा भूमि में से अवशेष रकबा 03 बिस्वा भूमि मूल खातेदार श्री नाथूराम के वारिसान के नाम पुनः नामान्तरण का आदेश दर्ज रिकार्ड करने हेतु इत्तला तहसील को भिजवाई जावे। बाद तामील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ... (हस्ताक्षर)	